## दाम्पत्य सम्बन्धों मे प्रेम और दया भाव

नबी (स) की पत्नी हज़रत आइशा (रजि) से एक बार प्यारे नबी (स) के व्यवहार के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा '' आप (स) घर में आप ही लोगों की तरह रहते थे, लेकिन आप (स) अधिक रहमदिल और कोमल स्वभाव के थे .... आप हमेशा घर के छोटे-मोटे कामों में अपनी बीवियों की मदद करते रहते, आप ख़ुद अपने कपड़ों में पेवन्द लगाते थे और जूतों को ख़ुद ही सी लेते थे।'' आम तौर से, जो काम भी आप की बीवियाँ करतीं आप उसमें उनकी मदद करते थे। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल) ने मर्दों को औरतों के साथ सबसे अच्छे तरीक़े से पेश आने की तरफ़ उभारा हैं। उन्होंने कहा कि '' तुममें सबसे बेहतर वे लोग हैं जो अपनी बीवियों के लिए सबसे अच्छे हैं।

> यह भी उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारी ही सहजाति से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए, ताकि तुम उनके पास शान्ति प्राप्त करो। और उसने तुम्हारे बीच प्रेम और दयालुता पैदा की। .... (क़ुरआन 30:21)

## माँ और बेटी का ऊँचा स्थान

बच्चे पर उसकी माँ का सबसे अधिक प्रभाव होता है , विशेष रूप से उस समय जब वह बचपन में बहुत-ही प्यार और मुहब्बत के साथ उसकी देखभाल करती है । निस्सन्देह किसी समाज की कामयाबी माँओं के कारण ही होती है। इसलिए यह बात केवल इस्लाम ही के लिए है कि उसने औरतों को सम्मान दिया और उनके स्थान को ऊँचा उठा दिया।

## अल्लाह क़ुरआन में कहता है :

> **'' हमने इनसान को ताकीद की कि वह अपने माँ-बाप के साथ अच्छा व्यवहार करे। उसकी माँ ने कष्ट उठाकर उसे पेट में रखा और कष्ट उठाकर उसे जन्म दिया। (क़ुरआन 46 15)**

एक बार अल्लाह के नबी (स) से पूछा गया कि '' ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे अच्छे बरताव का सबसे ज्यादा हकदार कौन है?'' आप (स) ने फ़रमाया ''तेरी माँ''। उस आदमी ने दूसरी बार पूछा, ''फिर कौन?'' आप (स) ने फिर यही कहा कि ''तेरी माँ'' तीसरी बार भी जब सवाल किया गया तो आप (स) ने वही जवाब दिया। जब चौथी बार पूछागया तब आप (स) ने फ़रमाया कि ''तेरा बाप''।

केवल माँ के साथ ही अच्छे और नेक व्यवहार पर बदले का वादा नहीं किया गया है, वास्तव में इस्लाम ने तो बेटियों की परवरिश पर भी ऐसा इनाम निश्चित किया है जो बेटों की परवरिश पर नही है।

मुहम्मद (स) ने फ़रमाया : '' जिस किसी को भी अल्लाह ने दो बेटियाँ दीं और उसने उनके साथ अच्छा बरताव किया तो वे दोनों लड़कियाँ उस व्यक्ति को जन्नत में ले जाने का ज़रिया होंगी।''

## निष्कर्ष

इस्लाम से पहले औरतों को शर्म का कारण समझा जाता था, बच्चियों को ज़िन्दा दफ़न कर दिया जाता था, वेश्यावृत्ति फैली हुई थी , तलाक़ का हक केवल मर्दों के पास था, विरासत केवल ताक़तवर का हक़ यानी हर तरफ़ जुल्म का बोल-बाला था। इस्लाम आया और तमाम कुप्रथाओं को ख़त्म कर गया।

'' विकसित देशों में आज औरतों को मान-सम्मान और मर्यादा तक हासिल नहीं है, बराबर काम के लिए बराबर दाम की तो बात ही छोड़ दीजिए।
इस्लाम औरतों को क़ीमती और अनमोल समझता है न कि बेइज़्ज़त और ज़लील। मध्य-पूर्व के कुछ देशों में या कुछ मुस्लिम परिवारों में औरतों के साथ जो बुरा सुलूक किया है ,वह केवल कुछ सांस्कृतिक रीति-रिवाजों के कारण है , जिन्हें मुसलमानों ने ग़लत तरीक़े से अपना लिया है। इस्लाम का इन सबसे कोई सम्बन्ध नहीं। यदि यह जुल्म करनेवाला धर्म होता तो दुनिया भर में इतनी महिलाएँ क्यों अपनी मर्ज़ी से इस्लाम स्वीकार करतीं ?

हम तमाम मर्दों और औरतों का पैदा करने वाला और रब (पालनहार) हम से कहता है :

मुस्लिम पुरुष और मुस्लिम स्त्रियाँ, ईमानवाले पुरुष और ईमानवाली स्त्रियाँ, निष्ठापूर्वक आज्ञापालन करनेवाले पुरुष और निष्ठापूर्वक आज्ञापालन करनेवाली स्त्रियां, सत्यवादी पुरुष और सत्यवादी स्त्रियाँ, धैर्यवान पुरुष और धैर्य रखनेवाली स्त्रियाँ, विनम्रता दिखानेवाले पुरुष और विनम्रता दिखानेवाली स्त्रियाँ, सदक़ा (दान) देनेवाले पुरुष और सदक़ा देनेवाली स्त्रियाँ, रोज़ा रखनेवाले पुरुष और रोज़ा रखनेवाली स्त्रियाँ, अपने गुप्तांगों की रक्षा करनेवाले पुरुष और रक्षा करनेवाली स्त्रियाँ और अल्लाह को अधिक याद करनेवाले पुरुष और याद करनेवाली स्त्रियाँ - इनके लिए अल्लाह ने क्षमा और बड़ा प्रतिदान तैयार कर रखा है। (क़ुरआन 33:35)


हमसे सम्पर्क करें
**इस्लामिक इन्फ़ॉरमेशन सेंटर**
www.discovertruepath.com
You Tube : DiscoverTruePath


# इस्लाम में महिलाओं के अधिकार

## औरत आदरणीय है सम्माननीय है अनमोल है

इस्लाम की बुनियादी शिक्षाओं के सम्बन्ध में जानकारी हासिल करने हेतु सम्पर्क करें


Toll Free 1800 572 3000
040 - 6832 7832
www.discovertruepath.com
You Tube : DiscoverTruePath

इस्लाम में महिलाओं को तुच्छ,गुलाम और पतित समझा जाता है .... लेकिन क्या यह बात सच है?.....क्या करोड़ों मुसलमान ऐसे ही ज़ालिम हैं? .... या ये ग़लतफ़हमियाँ हैं जो पक्षपाती मीडिया ने घडकर फैला दी हैं

**"और औरतों के लिए भी भले तरीक़े से मर्दो पर वही अधिकार है,जो मर्दों के उन पर है। (क़ुरआन 2 : 228)**

लगभग 1400 साल पूर्व, इस्लाम ने औरतों को वे अधिकार दिए जो पश्चिम ने आज देने आरम्भ किए है। 1930 के दशक में श्रीमति ऐनी बेसेन्ट ने लिखा था कि पिछले 20 सालों में इंग्लैंड की ईसाई दुनिया को यह लगा कि औरतों को जायदाद में हिस्सा दिया जाना चाहिए, जबकि इस्लाम हमेशा से इस अधिकार को देता आया है। यह कहना कि इस्लाम यह सिखाता है कि औरतों मे आत्मा नहीं होती, केवल एक झूठा इल्ज़ाम है।"

(The life and Teachings of Muhammad)

तमाम मर्द और औरतें एक ही इनसान 'आदम' की सन्तान है। इस्लाम किसी के साथ न्याय और अच्छे बरताव के सिवा कुछ भी पसन्द नहीं करता है।

## जिम्मेदारी बराबर बदला भी बराबर

मर्द और औरतें एक ही तरीक़े पर अल्लाह की इबादत करते हैं। यानी वे सब एक ही खुदा की इबादत करते हैं एक ही तरह से करते हैं, एक ही ग्रन्थ (क़ुरआन) को मानते और उसका पालन करते हैं और एक जैसा ही ईमान रखते हैं। अल्लाह तमाम इनसानों के साथ निष्पक्ष और समान तरीक़े से इनसाफ़ करता है अल्लाह क़ुरआन की बहुत-सी आयतों में मर्दो और औरतों दोनों के साथ इन्साफ करने और पूरा बदला देने पर ज़ोर देते हुए कहता है

**" मोमिन मर्दो और औरतों से अल्लाह का वादा है कि उन्हें ऐसे बाग़ देगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और वे उनमे हमेशा रहेंगे। उन सदाबहार बागों में उनके लिए पाकीज़ा मकान होंगे।" (क़ुरआन : 9 : 72)**

इन आयतों से पता चलता है कि हर एक का इनाम उसके कर्मो पर आधारित है न कि उसके मर्द या औरत होने पर। किसी व्यक्ति का उसके कर्मो के लिए इनाम देने और इनसाफ़ करने के लिए कोई भेदभाव नहीं है।

यदि हम दूसरे धर्मो के साथ इस्लाम की तुलना करें, तो हम देखते हैं कि इस्लाम दोनों (मर्दों और औरतों)के साथ इनसाफ़ करता है। मिसाल के तौर पर, इस्लाम इस विचार का बिल्कुल खंडन करता है कि 'निष्धिद्ध वृक्ष' (Forbidden Tree) का फल खाने के अपराध में हव्वा हि दोषी हैं। इस्लाम के अनुसार, आदम और हव्वा दोनों ने ग़लती की , फिर दोनों ने पश्चात्ताप किया और अल्लाह ने दोनों को माफ़ कर दिया।

## शिक्षा का समान अधिकार

इस्लाम में मर्दो और औरतों दोनों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। प्यारे नबी (स) ने फ़रमाया कि "इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज (अनिवार्य) है (जिसमें मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं।"

प्यारे नबी (स) के ज़माने में कई मुस्लिम महिलाएँ बड़ी विद्वान हुई हैं। उनमें से कुछ प्यारे नबी (स) के परिवार में थी और कुछ आपकी सहाबिया (आपकी अनुयायी) थी या आपकी बेटियाँ थीं। उनमें सबसे प्रसिद्ध हज़रत आइश (रजि) थीं, जिनके ज़रिए इस्लामी क़ानून का लगभग चौथाई हिस्सा हम तक पहुँचा।

कुछ दूसरी औरतें क़ानून शास्त्र की बड़ी जानकार थीं और बड़े-बड़े विद्वान पुरुष उनके शिष्य रहे हैं।

## जीवन-साथी चुनने का समान अधिकार

इस्लाम ने औरतों को यह सम्मान दिया है की वे अपना पति चुनने का ख़ुद हक रखती हैं, और शादी के बाद अपने असल पारिवारिक नाम के साथ रह सकती हैं। मगर कुछ लोगों पर इस बात का छाप पडी हुई है कि माँ-बाप अपनि लड़कियों को शादी के लिए मजबूर करते हैं। यह केवल एक सामाजिक प्रथा है , इसका इस्लाम से कुछ लेना - देना नहीं। वास्तव में तो इस्लाम में इसे मना किया गया है।

एक बार नबी (स) के पास एक औरत आई और बोली

" मेरे बाप ने समाज में अपना स्तर रखने के लिए मेरी शादी मेरे चाचा के लड़के के साथ कर दी। और मुझे इसके लिए मजबूर किया गया।" नबी (स) ने लड़की के पिता को बुलाया और पिता की मौजूदगी में लड़की को कहा कि " तुझे अधिकार है कि चाहे इस शादी को माने या इसे रद कर दे। " उस लड़की ने जवाब दिया " ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे बाप ने जो कुछ किया मै उसी को मानती हूँ लेकिन मैं दूसरी औरतों को दिखाना चाहती थी (कि वे इस तरह शादी करने के लिए मजबूर न हों)

## बराबर मगर जुदा :

आम क़ायदे के अनुसार मर्दो और औरतों को बराबर अधिकार दिए गए हैं। लेकिन कुछ विशेष अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ जो मर्दो और औरतों को सौंपी गई हैं, एक जैसी नही हैं। मर्दो और औरतों पर उनके स्वभाव के अनुसार कुछ अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ डाली गई हैं।

उनकी बाहरी और अन्दरूनी शारीरिक बनावट से हटकर वैज्ञानिकों का मानना है कि मर्दो और औरतों में बहुत-सी भिन्नताएँ हैं। जैसे भाषा, सूचना और भावनाओं को मर्द और औरत अलग-अलग तरीक़े से लेता हैं। कुछ का ज़िक्र हम यहाँ करते हैं :

एक सामाजिक-जीवविज्ञानी (Socio-Biology expert ) एडवर्ड ओ विलसन, हार्वर्ड विश्वविद्यलय, का कहना है कि औरतों में ज़बानी क़ाबिलियत, हमदर्दी और सामाजिक कला मर्दो से अधिक होती है। इसके विपरीत, मर्दो में आज़ादी, प्रभुत्व, गणित तथा उड़ान सम्बन्धी कला, पद-प्रतिष्ठा सम्बन्धी जंग और इसी तरह की दूसरी ख़ूबियाँ औरतों से अधिक पाई जाती हैं।

दोनों की अलग-अलग ख़ूबियों को अनदेखा करके दोनों के साथ एक जैसा सुलूक करना बेवक़ूफ़ी होगी। इस्लाम कहता है कि भिन्नता के कारण मर्दो और औरतों में से एक-दूसरे पर पुरक ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि यही तरीक़ा दोनों के स्वभाव के लिए अधिक उपयुक्त हैं।

अल्लाह फ़रमाता है :

**"और मर्द औरत की तरह नहीं होता।" (क़ुरआन 3:36)**

**"क्या वही न जानेगा जिसने पैदा किया है ? हालाँकि वह सूक्ष्मदर्शी और खबर रखनेवाला है " (क़ुरआन 67 : 14)**

## परिवार :

अल्लाह ने मर्दो और औरतों को अलग-अलग क़ाबिलियतों और ज़िम्मेदारियों के साथ पैदा किया है। इस अन्तर को श्रेष्ठता या नीचता की दृष्टि से नहीं बल्कि महारत की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इस्लाम में परिवार को मरकज़ी हैसियत हासिल है। मर्दो के ज़िम्मे परिवार की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने का काम डाला गया जबकि औरत परिवार को भौतिक, और भावनात्मक पहलुओं से बेहतर बनाकर सहयोगा करती है। इससे आपस में प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग को बढ़ावा मिलता है। इस तरह आपसी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने से मज़बूत ख़ानदान वुजूद मे आते हैं जिनसे मिलकर एक मज़बूत समाज का नर्माण होता है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि मर्द और औरत दोनों में से कोई भी एक-दुसरे के बिन सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। अल्लाह बहुत अच्छे अन्दाज़ में इस तरह बयान करता है कि :

**"वे तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो।" (क़ुरआन 2:187)**

लिबास से इनसान को आराम, सुकून व सुरक्षा मिलता है और इसी के साथ-साथ लिबास इनसान को ख़ूबसूरत भी बनाता है - इसलिए इस्लाम पति और पत्नी के बीच ऐसे ही रिश्ते को प्राथमिकता देता है।